न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 49/2017

1–तीजा देवी पत्नि हेमाराम जाति जाट निवासी सावंतगढ तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान।

.....अपीलान्ट

बनाम

.....रेस्पोडेन्ट

1–कानाराम पुत्र गिदाराम जाति जाट निवासी सावंतगढ तहसील नावां जिला नागौर राज0।
2–नारायणराम पुत्र गिदाराम जाति जाट निवासी सांवतगढ तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान
3–छोटी देवी पत्नी मेवाराम जाति जाट निवासी सांतगढ तहसील नावां जिला नागौर राज0।
4–तहसीलदार नावां तहसील नावां जिला नागौर राज0

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2–समदर सिंह नाथावत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 02 की ओर से

अपील अधीन धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध बन्टवारा अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिये तहसीलदार नावां दिनांक 01.12.2010 व नामान्तरण संख्या 187 दिनांक 01.12.2010 तहसीलदार नावां

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निर्णय

दिनांक:.01.09.21

{1} –यह अपील विरूद्ध धारा 75 एल आर एक्ट व काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 53(2) जरिये तहसीलदार नांवा के नामान्तरकरण संख्या 187 दिनांक 01.12.2010 ग्राम सावंतगढ, तहसीलदार नावां के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र पेश किया।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ग्राम सावंतगढ की स्थायी निवासी है जो कि एक महिला है। अपीलान्ट तीजा देवी पत्नी हेमाराम जाति जाट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 279 रकबा 02.36 हैक्टेयर संयुक्त था व खसरा नम्बर 69 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.42 हैक्टेयर अपीलान्ट का था वाके शरहद सांवतगढ में अवस्थित था। उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार नांवा के समक्ष हल्का पटवारी श्यामगढ ने एक बन्टवारा स्कीम रेस्पोडेन्ट से मिलकर तैयार कर प्रस्तुत की, जिसे तहसीलदार नांवा द्वारा दिनांक 01.12.2010 को स्वीकृत किया गया । उक्त बन्टवारा दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरण संख्या 187 दिनांक 01.12.2010 भरा गया।

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन व नामान्तरण स्वीकृत करते समय वास्तविक तथ्यो का ज्ञान नहीं किया व अपीलाधीन नामान्तरण व विभाजन स्वीकृत करते समय भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं एवं विधि विरूद्ध नामान्तरण स्वीकृति दी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(2) – यह है कि अपीलाधीन विभाजन व नामान्तकरण स्वीकृत करते समय विधि के सिद्धान्तो की पालना नहीं कि जिससे उक्त विभाजन व नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) –यह है कि विभाजन में अपीलान्ट की कोई उपस्थिति नहीं थी। अपीलान्ट एक अनपढ महिला है जो अगुंठा निशानी करती है। हस्ताक्षर करना नहीं जानती है। फिर भी विभाजन व नामान्तरण स्वीकृत किया जो खारिज होने योग्य है।

{3}(4) –यह है कि उक्त विभाजन में किसी प्रकार का कोई नक्शा नही दिया व कही पर यह बताया नहीं गया है किसी व्यक्ति के कितनी भूमि लम्बाई चौड़ाई में आयेगी। इस कारण तहसीलदार साहब नावां द्वारा किया गया बन्टवारा व नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि नामान्तरण भरते समय किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कि गई नामान्तरण भरा गया उसकी दिन आर.आई के हस्ताक्षर करवाया जाकर नामान्तरण स्वीकृत करवा लिया गया जो कि विधि विरूद्ध है एंव नक्शे में मनमर्जी के अनुसार अपीलान्ट को खसरा नम्बर 549/279 रकबा 0.28 हैक्टेयर बिना किसी नाप चोक के रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को दे दिया गया वह भी विधि विरूद्ध होने से उक्त नामान्तरण व बन्टवारा खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(6) – यह है कि अपीलान्ट ने कभी भी कोई बंटवारा स्कीम में हस्ताक्षर नहीं किये है। तीजा देवी हस्ताक्षर करना नहीं जानती है व केवल मात्र साक्षर है। खसरा नम्बर 279 में तीजा देवी के पास मुख्य सड़क 56 मीटर लम्बाई है। परन्तु नक्शे में महज फर्जी दस्तावेज तैयार कर केवल मात्र 10 मीटर भूमि ही मुख्य सड़क पर रेस्पोटेन्ट द्वारा दी गई है। जिससे उक्त बन्टवारा व नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(7) – यह है कि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बन्टवारा नहीं किया गया व बिना अपीलान्ट के उपस्थिति के ही तस्दीक हुआ है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(8) – यह है रेस्पोडेन्ट कानाराम द्वारा छोटी देवी के पक्ष में वक्सीसनामा करने के कारण छोटी देवी को पक्षकार बनाया है।

{4}–उक्त नामान्तरण 187 दिनांक 01.12.2010 तहसीलदार नांवा द्वारा स्वीकृत करने से व्यथित होकर अपीलार्थीया ने यह अपील दिनांक 14.06.2017 को इस न्यायालय में पेश की है। अपील के साथ अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया । न्यायालय हाजा ने यह अपील दिनांक 14.06.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक भाखर ने अण्डर टेकिंग लि गयी। काफी समय उपरान्त भी अधिवक्ता अशोक भाखर ने अण्डर टेकिंग के निरन्तर में वकालत नामा पेश नहीं करने पर अधिवक्ता की यू0टी0 खारीज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता श्री समंदर सिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामील मिसल किया तथा जवाब भी दिनांक 23.02.2021 को पेश किया जो शामील पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट का जवाब संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–

(1)–यह है कि अपील/प्रार्थना पत्र के पद सं0 1 के संबंध में यह है कि प्रार्थीया तीजा देवी गाम सावंतगढ की निवासी अवश्य है, परन्तु प्रार्थीया चतुर, होशियार महिला है। प्रार्थीया का पति हेमाराम सरकारी अध्यापक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(2) यह है कि अपील/प्रार्थना पत्र के पद सं0 2 के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी सं0 1 ता 2 की उपरोक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमियॉ थी, परन्तु मौके पर अलग अलग मौखिक बंट होकर अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे थे।

(3)यह है कि अपील/प्रार्थना पत्र के पद सं0 3 के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने राजीखुशी, सहमति से प्रशासन गॉवो के संघ अभियान कैम्प सावतगढ में दिनांक 1.12.2010 को खसरानम्बर 69, 71, 279 रकबा 03.12 हैक्टेयर सरहद सांवतगढकामौके पर काबिज अनुसार अलग अलग बंटवारा करवाने हेतु तहसीलदार नावा के समक्ष धारा 53 काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उक्त बंटवारा प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया तीजा देवी ने अपने स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा उसके साथ उसके अध्यापक पति हेमाराम ने भी उक्त बंटवारा स्कीम पर स्वयं के हस्ताक्षर भी किये थे तथा उसके पश्चात शेष खातेदारान रेस्पोडेन्ट सं0 1 2 ने अपने अंगुष्ठ निशानीयॉ स्वेच्छा से सहमति पूर्वक बंटवारा स्कीम को स्वीकार करते हुये किये तथा उसके पश्चात मौके पर ही तहसीलदार नावां ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब करके तथाउक्त रिपोर्ट पर आई.एल.आर. की रिपोर्ट भी ली जाकर प्रार्थया व अप्रार्थी सं0 1 व 2 जैसे मौके पर काबिज काश्त थे तथा उसकी अनुसार तीनों की स्वीकृति सहमति के अनुसार बंटवारा किया गया, जो विधि सम्मत है। अतः तहसीलदार महाय, नावां द्वारासभी खातेदारान की सहमति अनुसार व मौके पर काबिज काश्त के अनुसार उपरोक्त विधिसम्मत नामान्तकरण सं0 187 दिनांक 01.12.2010 भरा गया है।

(4) यह है कि प्रार्थीया तीजा देवी ने बंटवारा स्कीम पर मौके पर ही दिनांक 01.12.2010 को अपने हस्ताक्षर किये थे, प्रार्थीया स्वयं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपने हस्ताक्षर करना जानती है। अब वह जानबुझ कर गलत रूप से अपने हस्ताक्षरों से इन्कार कर रही है जो गलत है। प्रार्थीया का पति उक्त बंटवारा स्कीम पर स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये थे तथा अब जमीनों के भाव बढ जाने के कारण प्रार्थीया के मन में लोभ लालच आ गया है, जिससे वह उपरोक्त बंटवारा स्कीम पर अपने हस्ताक्षर होने से गलत रूप से मना कर रही है, जबकि उक्त बंटवारा स्कीम पर प्रार्थीया तीजा देवी के स्वयं के हस्ताक्षर है।

(5)– यह है कि प्रार्थीया तीजादेवी को मौके पर काबिज अनुसार खसरा नम्बर 69 में से 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 में से 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 में से 0.28 हैक्टेयर भूमि का तहसीलदार नावां द्वारा मापचौक करके प्रार्थीया तीजा देवी व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की सहमति क अनुसार उपरोक्त विवादित नामानतकरण भरा गया था, अपीलान्ट/प्रार्थीया को खसरा नम्बर 279 में से मुख्य सड़क पर 10 मीटर भूमि ही बंट में दी गई थी, प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा यह कथन करना की मौके पर उसके पास मौके पर 56 मीटर लम्बाई में भूमि है, गलत है प्रार्थीया/ अपीलान्ट के पास उक्त खसरा नम्बर 279 में से मुख्य सड़क पर 10 मीटर की भूमि ही उसकी सहमति के अनुसार बंट में रखी गई थी। अब प्रार्थीया गलत रूप से इन्कार कर रही है। जो पेरा अस्वीकार है।

(6)– यह पैरा अस्वीकार है जिससे भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

(7)– यह पैरा भी अस्वीकार है । अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने जवाब पेश अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

{5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको नामान्तरकरण की नकल दिनांक 18.05.2017 को लेने से व उसके पश्चात बन्टवारे की नकल दिनांक 13.06.2017 को प्राप्त करने के कारण अपील अन्दर मियाद मानी जावे। नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं तथा अपील अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थीया तीजा देवी पत्नी हेमाराम का धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीयॉ को अपील करने में देरी करने का कारण नकल लेने पर जानकारी होने से दिनांक 01.12.2010 से 14.06.2017 तक कि देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(6) –अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन व नामाकंन स्वीकृत करते समय वास्तविक तथ्यों का ज्ञान नही किया व अपीलाधीन नामान्तरण व विभाजन स्वीकृत करते समय भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है तथा विधि के सिद्धान्तो की पालना नहीं की है। तथा यह भी कहा कि अपीलान्ट एक अनपढ महिला है जो अगुंठा निशानी करती है। हस्ताक्षर करना नहीं जानती है। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि विभाजन के समय उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी, उसके बावजूद भी विभाजन व नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो निरस्त योग्य है। अतः बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नांवा द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

स्वीकृत बन्टवारा दिनांक 01.12.2010 व स्वीकृत नामान्तरण संख्या 187 दिनांक 01.12.2010 को खारीज किये जाने के आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलान्ट के तथ्यो की काट करते हुवे बताया कि उक्त अपीलीय नामान्तरण व विभाजन अपीलान्ट की उपस्थिति में भरा गया है। तथा सभी पक्षकारो की सहमति व हस्ताक्षर करवाकर बंटवारा स्कीम को स्वीकार कर सहमति पूर्वक भरा गया है। अतः विभाजन व नामान्तरण विधि सम्मत होने से अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

(7)– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा है कि विभाजन में अपीलान्ट की कोई उपस्थिति नहीं थी तथा अपीलान्ट एक अनपढ महिला है जो अगुंठा निशानी करती है। हस्ताक्षर करना नहीं जानती है। उक्त विभाजन का नक्शा नहीं दिया व कही पर यह नहीं बताया गया है कि किस व्यक्ति को कितनी लम्बाई चौड़ाई में भूमि आएगी। अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में यह भी कथन किया है कि बन्टवारा पूर्ण रूप से गलत तथ्यों व मिथ्या कथनों व कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। ख0नं0 279 में तीजा देवी के पास मुख्य सड़क पर 56 मीटर लम्बाई में भूमि है परन्तु नक्शें में सहज फर्जी दस्तावेज तैयार कर केवल मात्र 10 मीटर भूमि ही मुख्य सड़क पर रेस्पोडेन्ट द्वारा दी गयी हैं ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने उनके द्वारा पेश जबाब में अंकन एवं उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट का पति हेमाराम सरकारी अध्यापक है एवं उक्त बंटवारा स्कीम पर स्वयं हेमाराम ने भी हस्ताक्षर किए है। अपीलान्ट बंटवारा स्कीम पर अपने हस्ताक्षर नहीं होना गलत रूप से मना कर रही है उस पर स्वयं तीजा देवी के हस्ताक्षर हैं ।

प्रकरण में प्रश्नगत बंटवारा प्रशासन गांवो के संब 2010 अभियान में तहसीलदार नांवा द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस बंटवारा के प्रस्ताव पटवारी हल्का श्यामगढ द्वारा तैयार कर इसका प्रमाणिकरण भू0अ0नि0 मारोठ द्वारा किया गया है। उसके उपरान्त तहसीलदार द्वारा बंटवारा स्वीकृत किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार " खातेदार पैरा नं0 1 में वर्णित भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर अलग अलग काश्त कर रहे है। धारा 53 के अन्तर्गत बंटवारा चाहते है जो उचित है। इसका प्रमाणिकरण भू0अ0नि0 मारोठ द्वारा किया गया है तथा तहसीलदार नावां द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि " प्रार्थीगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण पैरा नं01 में वर्णित आराजियात के सहखातेदार कृषक है। सभी यह कृषक बंटवारे से सहमत है। अतः निम्न प्रकार भूमि बंटवारे के आदेश दिए जाते है। माफिक पटवारी रिपोर्ट के विभाजन के पेरा सं0 3 के माफिक विभाजन स्वीकृत किया जाता है।

बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कोई नक्शा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है लेकिन नामान्तरण सं0 187 दिनांक 1.12.2010 की पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित है। खाता संख्या 13 में तीन खसरा नम्बर 69, 71 व 279 शामिल थे जिनमें से ख0 नं0 69 व 71 सम्पूर्ण रूप से अपीलान्ट तीजा देवी के हिस्से में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दिए गए हैं तथा ख0 न0 279 रकबा 2.36 हैक्टेयर को तीन हिस्सों में बांटा गया है। सभी सहखातेदारो को 1.04 हैक्टेयर भूमि बंट में दी गयी है जो सभी के हिस्से में बराबर बराबर है। अपीलान्ट तीजादेवी के ख0 नं0 69 व 71 के अलावा कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर पूर्ण करने में शेष रही भूमि ख0 नं0 279 में से 0.28 हैक्टेयर दी गयी है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा जांच किया गया है। एवं उनके द्वारा पक्षकारों की पहचान भी की गयी है तथा सभी पक्षकार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित भी हुए है। तीन सहखातेदारान के अलावा एक अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर भी है जो श्री हेमाराम के होना वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा बताए गए है जो अपीलान्ट तीजा देवी के पति है। बंटवारा 2010 में स्वीकृत होकर उसका नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुका है जिसकी पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित है जो बंटवारा स्वीकृति दिनांक को ही भरा जाकर स्वीकृत किया गया है तथा इस बाबत अपील दिनांक 14.6.2017 को पेश की गयी है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह बंटवारा कूटरचित दस्तावेजों से तैयार किया गया हो तथा तीजादेवी ने अपने हस्ताक्षर कर तहसीलदार नावां के समक्ष उपस्थित नहीं हुई हो। प्रश्नगत बंटवारे में शामिल तीन खसरे 69, 71, 279 मुख्य सड़क पर ही स्थित है जिनमें से दो खसरे 69, 71 अपीलान्ट के हिस्से में दिए गए है तथा सभी सहहिस्सेदारों/सहखातेदारों का रकबा बराबर करने हेतु शेष रकबा सड़क पर ही ख0नं0 279 में से अपीलान्ट के हिस्से में दिया गया है अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)